विवरण

जिला अस्पतालों को भेजे गए बच्चों का जिला-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	जिला	संख्या
1.	बेतुल	619
2.	राजगढ़	130
3.	होशंगाबाद	1551
4.	बिलासपुर	9405
5.	रायगढ़	7596
6.	बस्तर	4972
7.	दातियां	2404
8.	खंडवा	2551
9.	छिंदवाड़ा	1579
10.	मांडला	3178
11.	शिवानी	5512
12.	दुर्ग	6529
13.	रेवा	6539
14.	दामोह	1510
15.	पन्ना	1531
16.	रतलाम	2480

Post Graduate Diploma Courses offered by Medical and Dental Colleges

977. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details and durations of different postgraduate diploma courses offered by medical and dental colleges in the country as on date;

(b) whether Government have decided/ are considering introduction of new one year diplomas in different branches of dentistry; and

(c) if so, the details thereof alongwith the university/colleges related thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) to (c) A list of subjects permitted by the Medical Council of India for award of deplomas in medical subjects by the Indian Universities is given in statment *(See* below). From 1993 onwards the minimum period of training for obtaining diploma in medical subjects is 2 calender years. The Dental Council of India permits one year diploma course in 8 specialities in dentistry which are given in Statement *II (See* below). Such post-graduate diploma courses are not being run in any dental college in India.

Statement I

List of subjects permitted by the Medical Council of India for award of diploma by Indian Universities

1. Anaesthesiology (D.A.)
2. Biostatistics (D.B.)
3. Clinical Pethology (D.C.P.)
4. Community Medicine (D.C.M.)
5. Dermatology (D.D.)
6. Forensic Medicine (D.F.M.)
7. Health Education (D.H.E.)
8. Hospital Administration (D.H.A.)
9. Health Administration (D.H.A.)
10. Immunology & Allergy (D.I.A.)
11. Industrial Hygiene (D.I.H.)
12. Leprosy (D. Lep.)
13. Immuno-Hematolony & Blood Transfusion (D.I.H.R.T.)
14. Maternity and Child Welfare (D.C.W.)
15. Medical Psychology (D.M.P.)
16. Virology (D. Vir.)
17. Microbiology (D. Micro.)
18. Nuclear Medicine (D.N.M.)
19. Nutrition (D.N.)
20. Obstetrics & Gynaecology (D.G.O.)
21. Occupational Health (D.O.H.)
22. Ophthalmology (D.O.)
23. Orthopaedics (D. Ortho.)
24. Oto-Rhino-Laryngology (D.L.O.)
25. Paediatrics (D.C.H.)

26. Physical Medicine and Rehabilitetion (D. Phy. Med. & R)
27. Psychiatry (D.P.M.)
28. Public Health (D.S.H.)
29. Radio-diagnosis (O.M.R.D.)
30. Radio-Therapy (D.M.R.T.)
31. Radiological Physics (D.R.P.)
32. Reproductive Biology (D.R.B.)
33. Sports Medicine (C.S.M.)
34. Sexually Transmitted Diseases (D.S.T.D.)
35. Tropical Medicine & Health (D.T.M. & H.)
36. Tuberculosis & Chest Diseases (D.T.C.D.)

Statement II

Specialities in Dentistry in which Diploma course is permitted.

1. Periodontics
2. Conservative Dentistry
3. Oral Surgery
4. Oral Medicine Radiology
5. Prosthodontics
6. Community Dentistry
7. Pedodontics
8. Orthodontics

देश में डेंगू का फैलना

978. **श्री संजय निरुपम:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन राज्यों व शहरों में महामारी के रूप में डेंगू का प्रकोप दिखाई पड़ा या अभी हाल तक था;

(ख) डेंगू के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि डेंगू के निवारण के लिए आवश्यक दवाईयां भारतीय बाजारों में उपलब्ध नहीं हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) डेंग्यू विषाणु संक्रमण दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रचलित पाया गया है।

(ख) डेंग्यू को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. देश के सभी भागों में रोग की निगरानी को सुदृढ़ करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में नैदानिक सुविधाएं बढ़ाना;
2. वैक्टर के पलने वाले स्थानों का पता लगाने और उनका उन्मूलन करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण करना;
3. पूर्ण-विकसित वैक्टर मच्छर को तत्काल समाप्त करना;
4. डेंग्यू की रोकथाम के लिए "क्या करें और क्या न करें" पर विशेष जोर देते हुए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण को तेज करना;
5. रोगियों के पर्याप्त उपचार के लिए अस्पताल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण;
6. डी०एच०एफ० रोगियों के उपयुक्त उपचार और बिम्बाणुओं के वंश को समाप्त करना तथा आपूर्तियों का सुदृढ़ीकरण।
7. कार्य योजनाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश, डेंग्यू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्यों को कार्यकलापों के कैलेन्डर प्रदान किये गये हैं। कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों को कार्य योजना और आकस्मिक योजना परिचालित की गई है।
8. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा 147 राज्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को डेंग्यू के उपचार और नियंत्रण में प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) डेंग्यू के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं हैं क्योंकि यह एक विषाणु रोग है। रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए लाक्षणिक उपचार और रोगी उपचार दो महवपूर्ण दृष्टिकोण हैं। देश में निदान के लिए सुविधाएं और सहायक उपचार उपलब्ध हैं। लाक्षणिक उपचार देने के लिए औषधों की किसी कमी की कोई सूचना नहीं दी गई है।

C.G.H.S. Beneficaries in the Country

979. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total number of families gatting C.G.H.S. benefits in Delhi and elsewhere in the country;